RCMS
2019/00179

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 84/ सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी आसुराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बासी आथूणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बासी आथूणी की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता खंख्या 117 पुराना खाता संख्या 101 में वादी का खेत खसरा नं. 442/195 रकबा 25.2521 हैक्टेयर में से मेरे द्वारा 0.2529 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई थी समर्पित भूमि का नामान्तकरण संख्या 480 दिनांक 31.05.2019 को स्वीकृत हो चुका है नामान्तकरण दर्ज करते समय समर्पित भूमि की तरमीम नहीं दर्शाई गई है। रास्ते के लिये समर्पित भूमि खेत के मध्य से होकर रास्ते के लिये समर्पित की गई है जिससे खेत में रास्ते सहित तीन नये नम्बर दिये जाने थे लेकिन रास्ते का एक नम्बर व दोनो साईड के खेतों को एक ही नम्बर दिया गया है जिससे जहा रास्ता है उसकी तरमीम सम्भव नही है। अतः खेत में आथूणी तरफ 7 हैक्टेयर भूमि को अलग नम्बर व अगुणी तरफ 17.9992 हैक्टेयर कृषि भूमि को अलग नम्बर देने व उक्त कृषि भूमि में मेरे द्वारा विक्रय भूमि केता कुनाराम की 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि अगुणी तरफ के ख. नं. में सयुक्त खातेदारी में दर्शाये जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का मुन्दड़ा भु अभिलेख नि. कानूता व तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में ग्राम बासी आथुणी के ख. नं. 442/195 तादादी 25.2521 हैक्टेयर में से मध्य से होकर रास्ते हेतु खातेदार किशनाराम ने 0.2529 हैक्टेयर भूमि समर्पित की गई। समर्पित भूमि का नामान्तकरण सं. 480 दर्ज होकर स्वीकृत हो चुका है। समर्पित भूमि खेत के मध्य में स्थित है नामान्तकरण दर्ज करतें समय तीन बट्टा नम्बर ही दिये जाने थे क्योकि रास्ते के दोनों ओर शेष भूमि बची हुई थी लेकिन सहवन से दो बट्टा नम्बर ही दिये गये है अतः उक्त खसरा के दो बट्टा नम्बर के स्थान पर तीन बट्टा नम्बर किया जान उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बासी आथुणी तहसील सुजानगढ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता खंख्या 117 पुराना खाता संख्या 101 के ख. नं. 442/195 में दो बट्टा नम्बर के स्थान पर तीन बट्टा नम्बर किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी के अन्तिम खसरा नं. के पश्चात नया खसरा नं. दिए जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/10/19 उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2019.11.21 15:39:21 IST
Reason: SelfAttested